1. In the court of Abhishek.K.Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 822/2026, dt. 08.04.2026, Shri Bhgwan Kumar & 11 others. Vrs. State of Bihar.

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 822 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. श्री भगवान कुमार वल्द शंभु साह	उम्र 19 वर्ष
2. शंभु साह उर्फ मुन्ना साह वल्द नारायण साह	उम्र 30 वर्ष
3. सुरेश साह वल्द नारायण साह	उम्र 56 वर्ष
4. विवेक कुमार वल्द केदार साह	उम्र 23 वर्ष
5. अभय कुमार वल्द केदार साह	उम्र 19 वर्ष
6. जितेन्द्र साह वल्द स्व0 पारस साह	उम्र 40 वर्ष
7. मुकेश कुमार वल्द स्व0 पारस साह	उम्र 33 वर्ष
8. मुन्द्रीका देवी उर्फ सुनैना देवी पति सुरेश साह	उम्र 55 वर्ष
9. गुड़िया कुमारी वल्द केदार साह	उम्र 25 वर्ष
10.सुनैना देवी पति शंभु साह	उम्र 41 वर्ष
11. बसन्ती देवी पति केदार साह	उम्र 46 वर्ष
12. पार्वती देवी पति सुरेन्द्र साह	उम्र 62 वर्ष

ग्राम– सिसहनी, थाना– पकड़ीदयाल, जिला– पूर्वी चम्पारण.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार..... विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से :– श्री सतीश कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से :–श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

08.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्तगगण श्री भगवान कुमार, शंभु साह उर्फ मुन्ना साह, सुरेश साह, विवेक कुमार, अभय कुमार, जितेन्द्र साह, मुकेश कुमार, मुन्द्रीका देवी उर्फ सुनैना देवी, बसंती देवी एवं पार्वती देवी की ओर से पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या– 499 / 2025 धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109(1), 132, 125(ए), 125(बी), 195(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. में अपनी गिरफतारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

सूचक को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सिसहनी में दो गुटो के बीच में गाली–गलौज,

मारपीट कर आपस में पथराव कर रहे है। महाल चौकीदार के साथ घटनास्थल पर पहुॅचा तो देखा कि दोनो पक्ष जान लेने पर उतारू थे। पुलिस बल के द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वे लोग ईट–पत्थर एवं गाली–गलौज कर रहे थे। स्थानीय महाल चौकीदार के द्वारा घटना में शामिल आवेदकगण सहित कुल तीस अभियुक्तों की पहचान किया गया । दोनो पक्षों में कुछ व्यक्ति को गंभीर चोटें भी लगी थी। पुलिस बल के समझाने पर भी उभय पक्षों के द्वारा मारपीट करना, धक्का–मुक्की करना एवं कार्य में बाधा पहुॅचाया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई अन्य अग्रिम/ नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका– 3 में कहा गया है कि सभी आवेदकगण के विरूद्ध पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या–502/2025 दर्ज है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित आरोप अस्पष्ट एवं सामान्य है। दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी तथा दोनो गुटों के द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आवेदकगण के द्वारा किसी भी तरह से आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया न ही सूचक के कार्य में बाधा पहुॅचाया गया है। अन्य अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 6184/2025 के द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । कांड दैनिकी की कंडिका– 57 के अनुसार जख्मी राहुल साह, अरूण कुमार, नरेश साह, सावन कुमार एवं केदार साह का जख्म प्रतिवेदन अंकित है। जिसमें जख्मी राहुल साह सोनी, अरूण कुमार एवं नरेश साह के जख्मों का मन्तव्य सुरक्षित रखा गया है तथा जख्मी सावन कुमार एवं केदार साह के जख्म को कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है। प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट की घटना कारित करने का विनिर्दिष्ट आरोप अंकित नहीं है। पूरक कांड दैनिकी की कंडिका– 61 में आवेदकगण का आपराधिक इतिहास अंकित है, जिसमें सभी आवेदकगण के विरूद्ध पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या– 502/2025 दर्ज होना अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण श्री भगवान कुमार, शंभु साह उर्फ मुन्ना साह, विवेक कुमार, अभय कुमार, जितेन्द्र साह, मुकेश कुमार, मुन्द्रीका देवी उर्फ सुनैना देवी, गुड़िया कुमारी, सुनैना देवी, बसंती देवी एवं पार्वती देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसर्मपण/गिरफ्तारी की दशा में मो0 10000/—रु. के बंध—पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोशप्रद समाधान पर धारा— 482 (2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि :—

1. आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक—एक जमानतदार आवेदकगण का नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे।

3. आवेदकगण अग्रिम जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ—पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध—पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदकगण किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध—पत्र रद्द किया जा सकता है।

5. आवेदकगण अग्रिम जमानत से मुक्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर इस आदेश की प्रति के साथ स्थानीय थाना के थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होगा एवं आरोप गठन होने तक हर पखवाड़े में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएगा ।

कार्यालय आदेश की एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को भेजे तथा संबंधित थाना प्रभारी आवेदकगण के द्वारा आदेश के अनुपालन का प्रतिवेदन संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को उपलब्ध कराए।

लेखापित

ह0/—

सत्र न्यायाधीश
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी,
दिनांक —08.04.2026